भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2114

उत्तर देने की तारीख- 12/02/2026

अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

2114. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जनजाति बहुल जिलों में सरकार की शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन वांछित गति से नहीं हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त योजनाओं का शीघ्र कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या विशेष कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या आजीविका संवर्धन एवं कौशल विकास योजनाओं के लाभ उक्त दोनों राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों तक सीमित रूप से ही पहुँच रहे हैं और यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उक्त मुद्दों के समाधान के लिए कोई नई नीति तैयार की जा रही है और यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान, उत्तर प्रदेश और देश के अन्य राज्यों के जनजाति बहुल क्षेत्रों में विभिन्न योजनाओं के लिए स्वीकृत निधि, उपयोग की गई धनराशि, जिस उद्देश्य के लिए उक्त धनराशि प्रयुक्त की गई और उसमें से अप्रयुक्त राशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) से (ङ): सरकार राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों सहित देश में अनुसूचित जनजातियों के विकास और जनजातीय बहुल क्षेत्रों के विकास के लिए एक कार्यनीति के रूप में अनुसूचित जनजातियों हेतु विकास कार्य योजना (डीएपीएसटी) को क्रियान्वित (लागू) कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 मंत्रालय/विभाग अनुसूचित जनजातियों (अजजा) और गैर-अनुसूचित जनजाति आबादी के बीच विकासात्मक अंतर को पाटने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न जनजातीय विकास परियोजनाओं के लिए डीएपीएसटी के तहत प्रत्येक वर्ष अपने कुल योजना बजट का एक निश्चित प्रतिशत जनजातीय विकास के लिए आवंटित कर रहे हैं। अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए बाध्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा आवंटित निधियों सहित योजनाएं केंद्रीय बजट दस्तावेज के व्यय प्रोफाइल का विवरण 10ख में लिंक https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/stat10b.pdf में दी गई हैं।

राज्य सरकारों को भी राज्य में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या (जनगणना 2011) के अनुपात में, कुल योजना आवंटन के संबंध में टीएसपी निधियां निर्धारित करनी होंगी। राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा अपने स्वयं की निधियों से टीएसपी के लिए आवंटन और व्यय के ब्यौरे https://statetsp.tribal.gov.in पर उपलब्ध हैं।

मंत्रालय ने डीएपीएसटी के तहत विभिन्न मंत्रालयों / विभागों के पास उपलब्ध निधियों के अभिसरण के माध्यम से अजजा के विकास के लिए दो मिशन नामतः प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किए हैं ।

प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन): सरकार ने 18 राज्यों और 1 संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 पीवीटीजी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) शुरू किया है। इस मिशन का उद्देश्य तीन वर्षों में सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण तक बेहतर पहुँच, सड़क और दूरसंचार सम्पर्क, गैर-विद्युतीकृत आवासों का विद्युतीकरण और स्थायी आजीविका के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इन उद्देश्यों को 9 मंत्रालयों द्वारा लागू किए गए 11 उपायों के माध्यम से पूरा करने की योजना है, जिसमें छात्रावास और मोबाइल चिकित्सा इकाइयां (एमएमयू) भी शामिल है। पीएम जनमन का कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपये (केंद्र का हिस्सा: ₹15336 करोड़ और राज्य का हिस्सा: ₹8768 करोड़) है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान: माननीय प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ 2 अक्टूबर, 2024 किया। इस अभियान में 17 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 25 उपाय शामिल हैं और इसका उद्देश्य पाँच वर्षों में 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के 549 जिलों और 2,911 ब्लॉकों में वन धन केंद्र स्थापित करके पाँच करोड़ से अधिक जनजातियों को आजीविका के अवसर देकर लाभान्वित करते हुए 63,843 गाँवों में अवसंरचना संबंधी अंतरों को पूरा करना, छात्रावास, आंगनवाड़ी सुविधाओं और मोबाइल चिकित्सा इकाइयों जैसी सामाजिक बुनियादी ढांचे तक बेहतर पहुँच प्रदान करना है। इस अभियान का कुल बजटीय परिव्यय 79,156 करोड़ (केंद्रीय हिस्सा: ₹56,333 करोड़ और राज्य हिस्सा: ₹22,823 करोड़) रुपये है।

धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सक्षमता केंद्र (सीओसी) स्थापित करने के प्रावधान शामिल किए हैं, जो सिकल सेल बीमारी के प्रसव पूर्व निदान और हीमोग्लोबिन विकारों के प्रबंधन और अनुसंधान के लिए समर्पित केंद्र हैं। इन केन्द्रों का उद्देश्य व्यापक, लक्षण-आधारित देखभाल, अनुसंधान और पोषण पक्ष को बढ़ावा देकर हीमोग्लोबिनोपैथी से प्रभावित लोगों के जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाना है।

लक्षित आबादी: अभियान 500 या उससे अधिक आबादी वाले विशिष्ट जनजातीय-बहुसंख्यक गांवों को लक्षित करता है, जहां कम से कम 50% जनजातीय हैं, और आकांक्षी ब्लॉकों में कम से कम 50 जनजातीय आबादी वाले गांवों को लक्षित करता है।

डीएजेजीयूए के तहत उत्तर प्रदेश में जनजातीय कार्य मंत्रालय के उपाय का ब्यौरा

उपाय	पीएसी द्वारा अनुमोदित राशि (लाख में) *	जारी की गई कुल निधि (लाख में)
आश्रम/जनजातीय क्षेत्र के स्कूलों में शौचालय परिसर का निर्माण, आवासीय विद्यालय में शिक्षक और स्टाफ क्वार्टर	745.00	301.24
जिला और राज्य स्तर पर एफआरए सेल (प्रकोष्ठ)	34.52	34.52
टीएमएमसी	100.00	100.00
एससीडी जागरूकता और परामर्श/आशा मानदेय + टीओटी	8.00	8.00

*सभी राशि लाख रुपये में है।

पीएम-जनमन प्रगति (31 मार्च 2025 तक)				
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एनआरएचएम)**	**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (पोषण 2.0)**	
		संस्वीकृत और संचालित एमएमयू	**संस्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्र**	**संचालित आंगनवाड़ी केंद्र**
1	राजस्थान	6	51	12
2	उत्तर प्रदेश	2	1	1

इसके अलावा, भारत सरकार के कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) विभिन्न योजनाओं के तहत कौशल विकास केंद्रों के एक व्यापक नेटवर्क जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना, राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के द्वारा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के माध्यम से अजजा सहित देश भर में समाज के सभी वर्गों को कौशल, पुनः बेहतर कौशल और उन्नत कौशल (री-स्किल और अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करता है। 31 दिसंबर, 2025 को एसआईडीएच की रिपोर्ट के अनुसार, पीएमकेवीवाई और पीएम विश्वकर्मा के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) प्रशिक्षण/अभिविन्यास (उन्मुख) पर अद्यतन जानकारी नीचे प्रदान की गई हैः

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों सहित राष्ट्रीय स्तर पर 31 दिसंबर-25 तक की एसआईडीएच रिपोर्टों के अनुसार पीएमकेवीवाई के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) प्रशिक्षण/अभिविन्यास पर अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैः -

वित्तीय वर्ष	प्रशिक्षित / अभिविन्यास (उन्मुख)
वित्तीय वर्ष -22-23	18,282
वित्तीय वर्ष -23-24	40,585
वित्तीय वर्ष -24-25	109,453
वित्तीय वर्ष -25-26	7,304
कुल	813,357

राजस्थान और उत्तर प्रदेश के जनजातीय बहुल जिलों सहित राष्ट्रीय स्तर पर 31 दिसंबर-25 तक एसआईडीएच रिपोर्टों के अनुसार पीएम विश्वकर्मा (बुनियादी कौशल) के तहत अनुसूचित जनजाति (अजजा) प्रमाणन पर अद्यतन जानकारी नीचे दी गई हैः -

पीएम विश्वकर्मा के तहत अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाणन पर अद्यतन जानकारी (31-25 दिसंबर तक एसआईडीएच रिपोर्ट के अनुसार बुनियादी कौशल)	
वित्तीय वर्ष	**प्रमाणित**
वित्तीय वर्ष 23-24	14,560
वित्तीय वर्ष 24-25	154,025
वित्तीय वर्ष 25-26	15,525
कुल	184,110

इसके अलावा, जनजातीय कार्य मंत्रालय देश में अनुसूचित जनजातियों (अजजा) के कल्याण और विकास के लिए विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों को क्रियान्वित (लागू) कर रहा है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय द्वारा हाल के वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए राज्य-वार निधियों का आवंटन **अनुलग्नक I** में दिया गया है।

प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम): जनजातीय कार्य मंत्रालय प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम) को क्रियान्वित कर रहा है, जिसे जनजातीय आजीविका को बढ़ावा देने के लिए दो मौजूदा योजनाओं अर्थात, "न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के माध्यम से लघु वन उपज (एमएफपी) के विपणन के लिए तंत्र और एमएफपी के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास" तथा "जनजातीय उत्पादों/उपज के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता" के विलय के माध्यम से तैयार किया गया है।

इस योजना में चयनित लघु वनोपज (एमएफपी) के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित और घोषित करने की परिकल्पना की गई है। किसी विशेष लघु वनोपज (एमएफपी) वस्तु का प्रचलित बाजार मूल्य निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम

होने की स्थिति में, पूर्व-निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद और विपणन कार्य, निर्दिष्ट राज्य एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। साथ ही, सतत् संग्रहण, मूल्य संवर्धन, अवसंरचना विकास, लघु वनोपज (एमएफपी) के ज्ञान आधार का विस्तार और बाजार आसूचना विकास जैसे अन्य मध्यम और दीर्घकालिक मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा।

मंत्रालय, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ (ट्राइफेड) के माध्यम से 'प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन (पीएमजेवीएम)' योजना क्रियान्वित कर रहा है जिसका उद्देश्य जनजातीय उद्यमिता पहलों को सुदृढ़ करना और प्राकृतिक संसाधनों, कृषि/लघु वन उत्पादों (एमएफपी)/गैर-कृषि उत्पादों के अधिक कुशल, न्यायसंगत, स्व-प्रबंधन को बढ़ावा देकर आजीविका के अवसरों को सुविधाजनक बनाना है। इस योजना के तहत, राज्य सरकारों को वन धन विकास केंद्र (वीडीवीके) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है, जो एमएफपी/गैर-एमएफपी की मूल्य संवर्धन गतिविधियों के केंद्र हैं।

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस): वर्ष 2018-19 में जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में नवोदय विद्यालय के समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) शुरू किए गए थे। इस नई योजना के अंतर्गत, सरकार ने 440 ईएमआरएस स्थापित करने का निर्णय लिया है, 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति की आबादी और कम से कम 20,000 जनजातीय व्यक्तियों (2011 की जनगणना के अनुसार) वाले प्रत्येक ब्लॉक में एक ईएमआरएस होगा। 288 ईएमआरएस स्कूलों को शुरू में संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान के तहत वित्तपोषित किया गया था, जिन्हें नए मॉडल के अनुसार उन्नत किया जा रहा है। तदनुसार, मंत्रालय ने देश भर में लगभग 3.5 लाख अनुसूचित जनजाति के छात्रों को लाभान्वित करने के लिए कुल 728 ईएमआरएस स्थापित करने का लक्ष्य रखा है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति: यह योजना कक्षा IX-X में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए लागू है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। दिवा छात्रों को 225 रुपये प्रति माह और छात्रावास में रहने वालों को 525 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति वर्ष में 10 महीने की अवधि के लिए दी जाती है। छात्रवृत्ति राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के माध्यम से संवितरित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू और कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहाँ यह अनुपात 90:10 है, को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। विधायिका रहित संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति: इस योजना का उद्देश्य मैट्रिकोत्तर या माध्यमिकोत्तर स्तर पर अध्ययन कर रहे अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी करने में सक्षम बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। माता-पिता की आय सभी स्रोतों को मिलाकर 2.50 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। शैक्षणिक संस्थानों द्वारा लिए जाने वाले अनिवार्य शुल्क की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित सीमा के अधीन की जाती है और अध्ययन के पाठ्यक्रम के आधार पर 230 रुपये से 1200 रुपये प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि का भुगतान किया जाता है। योजना राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। पूर्वोत्तर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू तथा कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र जहां यह अनुपात 90:10 है को छोड़कर, सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण अनुपात 75:25 है। बिना विधायिका वाले संघ राज्यक्षेत्रों के लिए साझाकरण पद्धति (पैटर्न) 100% केंद्रीय हिस्सा है।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति : यह योजना चयनित छात्रों को विदेश में स्नातकोत्तर, पीएचडी और पोस्ट-डॉक्टरल पढ़ाई के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है। प्रतिवर्ष कुल बीस छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती

हैं। इनमें से, 17 छात्रवृत्तियां अजजा के लिए और 3 छात्रवृत्तियां विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) से संबंधित छात्रों के लिए है। सभी स्रोतों से मात-पिता की आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चत्तर शिक्षा के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति और छात्रवृत्ति :

क) राष्ट्रीय छात्रवृत्ति- (शीर्ष श्रेणी) योजना [स्नातक स्तर]: इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जनजाति के मेधावी छात्रों को मंत्रालय द्वारा चिन्हित देश भर के 265 उत्कृष्ट संस्थानों, जैसे आईआईटी, एम्स, आईआईएम, एनआईआईटी आदि में से किसी में भी निर्धारित पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करना है। सभी स्रोतों से पारिवारिक आय 6.00 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति राशि में शिक्षण शुल्क, रहने का खर्च और पुस्तकों व कंप्यूटर के लिए भत्ते शामिल हैं।

(ख) अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति: भारत में एमफिल और पीएचडी की उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रति वर्ष 750 अध्येतावृत्तियां प्रदान की जाती हैं। अध्येतावृत्ति यूजीसी के मानदंडों के अनुसार प्रदान की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान: संविधान के अनुच्छेद 275(1) के प्रावधान (परंतुक) के अंतर्गत, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन के स्तर को बेहतर बनाने और जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु अनुसूचित जनजाति आबादी वाले राज्यों को अनुदान जारी किए जाते हैं। यह एक क्षेत्र विशेष कार्यक्रम है और राज्यों को 100% अनुदान प्रदान किया जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, आजीविका, पेयजल, स्वच्छता आदि के क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे की गतिविधियों में अंतर को पाटने के लिए अनुसूचित जनजाति आबादी की महसूस की गई आवश्यकताओं के आधार पर राज्य सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं।

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता: अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता योजना के अंतर्गत, मंत्रालय शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में परियोजनाओं को वित्तपोषित करता है, जिसमें आवासीय विद्यालय, गैर-आवासीय विद्यालय, छात्रावास, सचल औषधालय, दस या अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल, आजीविका आदि शामिल हैं।

वित्तीय वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान सहायता (Grant-in-Aid) योजना के अंतर्गत राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश को जारी की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

क्रम सं.	**राज्य**	**परियोजना**	**परियोजनाओं की संख्या**	**वित्तीय वर्ष 2023-24 (राशि करोड़ में)**	**वित्तीय वर्ष 2024-25 (राशि करोड़ में)**	**वित्तीय वर्ष 2025-26 (दिनांक 09.02.2026 तक, राशि करोड़ में)**
1	राजस्थान	शिक्षा	5	1.96 करोड़	3.94 करोड़	1.77 करोड़

2	राजस्थान	आजीविका	1	0.21 करोड़	1.03 करोड़	0.16 करोड़
3	उत्तर प्रदेश	शिक्षा	4	0.51 करोड़	1.40 करोड़	0.42 करोड़

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी): जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक विकास के लिए विशेष रूप से स्थापित एक सर्वोच्च (शीर्ष) संगठन है जो आजीविका सृजन के लिए विभिन्न योजनाएं क्रियान्वित (लागू) करता है। एनएसटीएफडीसी, थारू जनजाति सहित पात्र अनुसूचित जनजाति समुदायों को रियायती ऋण देता है। एनएसटीएफडीसी की योजनाएं उत्तर प्रदेश राज्य सहित पूरे देश में क्रियान्वित (लागू) की जाती हैं। एनएसटीएफडीसी की प्रमुख योजनाएँ नीचे दी गई हैं:

i. **सावधि ऋण योजना:** एनएसटीएफडीसी प्रति इकाई ₹50.00 लाख तक की लागत वाली व्यवहार्य परियोजनाओं के लिए सावधि ऋण देता है। इस योजना के तहत, परियोजना लागत का 90% तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है और शेष राशि सब्सिडी/प्रमोटर के योगदान/मार्जिन मनी के माध्यम से कवर की जाती है।

ii. **आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) :** यह अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के आर्थिक विकास के लिए एक विशेष योजना है। इस योजना के तहत, एनएसटीएफडीसी ₹2 लाख तक की लागत वाली परियोजना के लिए 90% तक का ऋण देता है।

iii. **स्वयं सहायता समूहों के लिए लघु ऋण योजना (एमसीएफ) :** यह योजना विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की लघु (छोटे) ऋण की ज़रूरतों को पूरा करने हेतु स्वयं सहायता समूहों के लिए बनाई गई है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक सदस्य को ₹50,000/- तक और प्रत्येक स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को अधिकतम ₹5 लाख तक का ऋण देता है।

iv. **आदिवासी शिक्षा ऋण योजना (एएसआरवाई) :** यह अजजा विद्यार्थियों की भारत में पीएचडी सहित तकनीकी और व्यावसायिक (पेशेवर) शिक्षा प्राप्त करने के खर्च को पूरा करने के लिए एक शिक्षा ऋण योजना है। इस योजना के तहत, निगम प्रत्येक पात्र परिवार को ₹10 लाख तक की वित्तीय सहायता देता है। छात्र शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से अधिस्थगन अवधि अर्थात् पाठ्यक्रम अवधि एवं पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद एक वर्ष या नौकरी मिलने के बाद छ: महीने जो भी पहले हो, के दौरान ब्याज सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

जनजातीय अनुसंधान संस्थानों (टीआरआई) को सहायता: मंत्रालय इस योजना के माध्यम से राज्य सरकारों को जहां पहले से नए टीआरआई स्थापित नहीं हैं, वहां उनकी स्थापना करने के लिए और मौजूदा टीआरआई के कामकाज को सुदृढ करने हेतु अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, समृद्ध जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने आदि के प्रति अपनी मुख्य जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सहायता प्रदान करता है। जनजातीय कला और संस्कृति को संरक्षित करने के लिए, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण, कला और कलाकृतियों के रखरखाव और संरक्षण, जनजातीय संग्रहालय की स्थापना, जनजातियों के लिए राज्य के अन्य हिस्सों में आदान-प्रदान यात्राओं, जनजातीय त्योहारों के आयोजन आदि के माध्यम से देश भर में जनजातीय संस्कृति और

विरासत को संरक्षित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियां करने के लिए टीआरआई को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा शीर्ष समिति के अनुमोदन से आवश्यकता के आधार पर टीआरआई को 100% सहायता अनुदान वित्त पोषित है।

अनुलग्नक I

"अनुसूचित जनजातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का कार्यान्वयन" के संबंध में श्री हनुमान बेनीवाल द्वारा दिनांक 12.02.2026 को पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2114 के भाग (क) से भाग (ङ) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

इन योजनाओं/कार्यक्रमों के तहत मंत्रालय द्वारा हाल के वित्तीय वर्षों के दौरान किए गए राज्य-वार निधियों का आवंटन निम्नानुसार हैः

मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई निधि										
	वित्तीय वर्ष 2021-22		**वित्तीय वर्ष 2022-23**		**वित्तीय वर्ष 2023-24**		**वित्तीय वर्ष 2024-25**		**वित्तीय वर्ष 2025-26**	
राज्य का नाम	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप	282	8.49	199	9.45	141	4.23	18	0.54	179	5.4
आंध्र प्रदेश			35364	4597.32						
अरुणाचल प्रदेश	5676	182.61	3812	128.84	5831	195.94	635	23.28	1299	47.58
असम	2439	76.03	4695	148.75	5625	175.8	223	7.05		
बिहार	19758	355.64	65563	1180.13	11763	211.74				
छत्तीसगढ़	19	0.43	88414	2198.91	22182	501.13	178415	4743.83		
गोवा	2354	71.95	3827	115.56	209	6.3	1985	59.62	340	10.2
गुजरात	182639	5719.24	101356	3517.93	116556	4171.54	97863	3626.72	17943	699.19
हिमाचल प्रदेश	474	14.22	3388	101.87	2445	73.61	910	27.47	1296	39.47
जम्मू और कश्मीर					4665	140.91	365	10.98	1322	41.16
झारखंड	94854	2128.38	13751	309.48	7311	329	16250	731.25		
कर्नाटक	80494	2414.82	93928	2817.84	184244	5527.32	82316	2469.48	55	1.65
केरल	7142	228.23	9509	329.47	1007	29.05				
लद्दाख	1766	55.38	758	23.1	82	2.53	8	0.24		
मध्य प्रदेश	343961	10972.63			35165	999.35	350016	11368.93		
मणिपुर	2058	64.01	2418	97.44	1660	50.2	70	2.91	3200	118.69
मेघालय	586	18.04	2338	72.4	1410	43.66	19	0.6	8	0.24
मिजोरम	10865	420.27	19791	741.38	465	18.6			694	27.91
नागालैंड	1291	38.73								

ओडिशा	18808	839.71	143725	6717.5	63563	3042.67	176228	8349.45	10984	498.46
पुडुचेरी	19	0.57	21	0.63			12	0.39		
राजस्थान	211350	6289.93	41827	1255.01	136611	4104			94659	2840.75
सिक्किम	88	2.97	296	9.24	47	1.51	134	4.67	47	1.48
तमिलनाडु			24037	765.61	6569	235.48				
तेलंगाना	8460	212.64	229	5.81						
दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव					4080	98.76	877	25.4		
त्रिपुरा	1843	72.65	17307	650.22	15017	583.27	3054	127.76	11981	480.17
उत्तर प्रदेश	815	19.94	1579	41.48	2329	62.64				
उत्तराखंड			1278	28.91	516	15.87	751	23.41	73	2.42
पश्चिम बंगाल	28942	1217.8			30669	1320.6	14025	420.75	3375	101.25
कुल योग	**1026983**	**31425.31**	**679410**	**25864.28**	**660162**	**21945.71**	**924174**	**32024.73**	**147455**	**4916.02**

नोटः - 25.01.2026 को इस मंत्रालय के डीबीटी जनजातीय पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थी डेटा के आधार पर।

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत राज्य-वार लाभार्थियों की संख्या और जारी की गई निधि

	2021-22		2022-23		2023-24		2024-25		2025-26	
राज्य का नाम	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**	**लाभार्थी**	**निधि (लाख में)**
अंडमान और निकोबार द्वीप	309	11.05	330	8.68	170	4.1	2	0.05	293	8.85
आंध्र प्रदेश	53361	14261.88	113139	15620.93	75431	11380.95	32944	8043.87		
अरुणाचल प्रदेश	31523	8929.38	43639	11595.12	46427	12463.86	42586	12020.31	44163	12512.18
असम	27064	2736.83	78130	7742.54	35135	3689.98	12582	1552.11	18456	2172.67
बिहार			25001	1279.25	2467	128.38	3045	178.34	173	14.79
छत्तीसगढ़	10000	712.02	213119	11290.14	120936	8654.55	57464	3197.74	79632	8693.35
गोवा	4628	886.72	4547	652.67	3831	635.28	3128	794.67	3185	896.42
गुजरात	263516	48212.63	157975	27368.42	227369	58089.92	227019	83928.77	86349	46105.31
हिमाचल प्रदेश	2042	316.33	3476	613.73	4294	766.7	4042	966.75	3669	806.53
जम्मू और कश्मीर	12561	1536.51	74	10.16	10399	1455.75	6591	1100.27	4548	874.97
झारखंड	108010	10145.82	49962	5515.63	97440	14286.3	61098	8276.32		

कर्नाटक	72236	6864.95	93826	12084.72	154457	21035.94	81271	11780.82		
केरल	30159	3304.53	28153	3688.22	24735	3724.39				
लद्दाख	8014	1952.07	12212	2891.5	2217	530.47	12977	3549.53	139	41.64
मध्य प्रदेश	139801	20191.91	523019	48165.13	222333	42925.98	197938	28933.92		
महाराष्ट्र	214331	4908.68	282098	5811.64	182192	4657.31				
मणिपुर	35683	4331.24	46476	5188.15	40746	4723.92	29992	3570.64	30151	3563.69
मेघालय	15863	2717.36	53881	9902.69	59960	11962.76	58031	13050.56	84181	21695.12
मिजोरम	48042	5107.14	41218	4581.57	304	40.24	30696	3965.26	28241	4667.17
नागालैंड	36940	3742.62	40588	4195.06	40638	4440.17	42448	4196.14	64423	4508.46
ओडिशा	189152	24713.55	208067	30268.87	179299	25027.39	68021	16509.71		
पुडुचेरी	21	2.14	18	1.2	8	0.99				
राजस्थान	179277	18963.44	216929	37804.28	45352	6772.13	198676	31626.67	53069	10620.59
सिक्किम	3488	873.51	4233	845.48	2553	631.4	1377	562.49	1	1.12
तमिलनाडु			30861	3505.77	7902	423.38	347	9.99		
तेलंगाना	172677	27507.61	55586	8201.08	132617	15227.86	88534	14888	25560	2753.66
दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	2654	364.13	61	15.44	1803	227.78				
त्रिपुरा	16676	3221.27	35138	5704.84	37388	7459.57	33377	6715.94	28163	2803.28
उत्तर प्रदेश	8930	950.42	6427	999.95	8656	1088.58	1020	194.35		
उत्तराखंड			3769	258.68	3398	278.42	3233	378.63	108	5.65
पश्चिम बंगाल	81639	4096.79			79736	3981.14	32844	2331.43	12033	859.77
कुल योग	**1768597**	**221562.53**	**2371952**	**265811.54**	**1850193**	**266715.59**	**1331283**	**262323.28**	**566537**	**123605.22**

नोटः - 25.01.2026 को इस मंत्रालय के डीबीटी जनजातीय पोर्टल पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपलोड किए गए लाभार्थी डेटा के आधार पर।

पीएम-जनमन के तहत पिछले दो वर्षों के दौरान राज्य सरकारों को जारी की गई निधियों का विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**वित्तीय वर्ष 2023-24**	**वित्तीय वर्ष 2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	14.97	5.00
2	छत्तीसगढ़	8.52	0.00
3	गुजरात	1.66	4.37
4	झारखंड	0.62	1.50
5	कर्नाटक	3.33	10.26
6	केरल	2.29	0.00
7	मध्य प्रदेश	25.99	0.00
8	महाराष्ट्र	12.47	5.00
9	ओडिशा	12.68	23.92
10	राजस्थान	3.33	3.44
11	तमिलनाडु	5.20	20.67
12	तेलंगाना	2.91	13.24
13	त्रिपुरा	4.57	7.50
14	उत्तर प्रदेश	0.83	0.00
15	उत्तराखंड	0.62	4.78
	कुल	**100.00**	**99.68**

*अनंतिम

"पीवीटीजी के विकास" योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान जारी निधियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	1645.5	0	0
2	अंडमान और निकोबार द्वीप	0	0	0
3	बिहार	0	0	0
4	छत्तीसगढ़	1500	0	0
5	गुजरात	1731.2	0	0
6	झारखंड	0	0	0
7	कर्नाटक	1439.42	0	0
8	केरल	0	0	0

9	मध्य प्रदेश	0	0	0
10	महाराष्ट्र	0	0	0
11	मणिपुर	0	0	0
12	ओडिशा	1796.75	0	0
13	राजस्थान	1120.625	0	0
14	तमिलनाडु	907.7	0	2723..11
15	तेलंगाना	1508.13	0	2746.87
16	त्रिपुरा	1402.65	0	207.95
17	उत्तर प्रदेश	0	0	0
18	उत्तराखंड	0	0	0
19	पश्चिम बंगाल	665.95	0	1631.05
	कुल	**13717.925**	**0**	**7308.98**

*अनंतिम

नोटः - प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम-जनमन) के नवंबर, 2023 से लागू होने के पश्चात्, उपर्युक्त योजना के अंतर्गत राज्यों को केवल प्रतिबद्ध देयताओं की ही राशि जारी की जानी है।

पिछले तीन वर्षों में एनएसटीएफडीसी द्वारा वितरित ऋण की राशि

लाख रुपए में

क्र.सं.	**राज्य**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
		वितरित राशि	**वितरित राशि**	**वितरित राशि**
1	आंध्र प्रदेश	4119.80	5551.49	6039.21
2	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह		0.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	699.90	25.77	17.88
4	असम		40.02	24.24
5	बिहार		3.06	0.00
6	छत्तीसगढ़	296.00	227.29	499.43
7	दादरा और नगर हवेली		4.55	0.00
8	गोवा		0.22	0.00
9	गुजरात	1019.61	2810.12	4931.39
10	हरियाणा			0.00
11	हिमाचल प्रदेश	56.90	2.19	30.60
12	जम्मू और कश्मीर	1272.54	295.19	1102.49

13	झारखंड	3.00	684.25	247.45
14	कर्नाटक	1582.42	853.41	1854.44
15	केरल	720.73	446.74	684.80
16	लक्षद्वीप			73.53
17	मध्य प्रदेश	5392.05	1759.58	1660.72
18	महाराष्ट्र	658.19	2523.52	567.76
19	मणिपुर	25.00	235.49	102.80
20	मेघालय	470.60	475.91	298.09
21	मिजोरम	5295.74	6856.69	6948.28
22	नागालैंड	20.39	1199.77	627.08
23	ओडिशा	63.19	362.35	883.56
24	राजस्थान	789.35	712.22	130.16
25	सिक्किम		34.23	201.63
26	तमिलनाडु	1087.13	3265.67	1210.39
27	तेलंगाना	4583.99	3218.52	5174.31
28	त्रिपुरा	48.02	2014.62	1695.98
29	उत्तराखंड	81.42	32.59	1.92
30	उत्तर प्रदेश		3.37	85.81
31	पश्चिम बंगाल	1643.33	1526.59	2233.75
	कुल	**29929.30**	**35165.42**	**37327.70**

*अनंतिम

संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत जारी निधि (लाख रुपए में)को दर्शाने वाला विवरण (05.06.2025 तक)

क्र.सं.	***राज्य***	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00	9841.55
2	अरुणाचल प्रदेश	7265.30	6740.00	10030.00
3	असम	2300.00	3294.12	4286.23
4	बिहार	1001.01	871.24	524.00
5	छत्तीसगढ़	13578.43	15676.77	14506.46
6	गोवा	667.79	150.00	479.91
7	गुजरात	7549.12	4584.77	2727.27
8	हिमाचल प्रदेश	1655.00	1696.45	2244.23
10	झारखंड	6677.87	14299.82	5147.06
11	कर्नाटक	4297.57	4070.00	4730.26
12	केरल	817.67	1910.44	395.81
13	मध्य प्रदेश	8438.75	15741.70	9183.585
14	महाराष्ट्र	0.00	0.00	0.00
15	मणिपुर	1067.36	2456.35	1981.32
16	मेघालय	2904.84	3127.29	2217.40
17	मिजोरम	1654.05	2897.97	2143.80
18	नागालैंड	5863.47	5020.11	2050.50
19	ओडिशा	10150.55	6870.56	10107.95
20	राजस्थान	11002.53	8940.07	4626.61
21	सिक्किम	720.38	1754.38	4485.06
22	तमिलनाडु	0.00	650.49	2019.665
23	तेलंगाना	3114.46	5169.00	13797.00
24	त्रिपुरा	1294.71	4226.39	4151.82
25	उत्तर प्रदेश	1135.82	1353.63	1829.90
26	उत्तराखंड	306.02	964.05	0.00
27	पश्चिम बंगाल	4186.50	4744.40	3549.61
कुल योग		**97649.20**	**117210.00**	**117057.00**
*अनंतिम				

अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों को सहायता अनुदान योजना के तहत वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान जारी निधि का विवरण

(लाख रुपए में)

राज्य	2022-23	2023-24	2024-25*
आंध्र प्रदेश	183.01	92.19	249.08
अरुणाचल प्रदेश	213.91	205.74	639.09
असम	214.46	121.75	284.47
छत्तीसगढ़	138.42	140.64	250.83
दिल्ली	8.31	-	17.42
गुजरात	284.73	299.17	338.79
हिमाचल प्रदेश	226.02	437.22	578.27
जम्मू और कश्मीर	36.76	-	49.28
झारखंड	881.91	918.76	2666.31
कर्नाटक	290.59	247.33	520.86
केरल	129.48	7.53	186.75
लद्दाख	74.33	84.54	181.79
मध्य प्रदेश	1091.13	975.56	1438.54

महाराष्ट्र	1358.81	1047.53	1550.50
मणिपुर	207.54	406.09	657.29
मेघालय	2132.05	914.83	2017.34
मिजोरम	51.50	38.69	158.85
ओडिशा	2049.49	4095.84	2885.48
राजस्थान	269.21	217.68	498.95
सिक्किम	46.81	53.16	117.11
तमिलनाडु	250.31	377.29	189.10
तेलंगाना	39.99	96.98	208.03
त्रिपुरा	95.69	42.09	186.63
उत्तर प्रदेश	61.49	51.03	140.36
उत्तराखंड	112.93	44.30	98.68
पश्चिम बंगाल	476.10	1167.79	1390.18
कुल	**10925.00**	**12083.71**	**17500.00**

*अनंतिम

पिछले तीन वर्षों के दौरान 'जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सहायता' योजना के तहत जारी की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	219.13	125.00	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	0.00	48.63	150.00
4	असम	0.00	0.00	270.00
5	बिहार	0.00	0.00	99.00
6	छत्तीसगढ़	113.43	250.00	1100.00
7	गोवा	0.00	50.57	200.00
8	गुजरात	0.00	0.00	250.00
9	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	125.00
10	जम्मू और कश्मीर	170.84	770.85	100.00
11	झारखंड	164.96	417.03	200.00
12	कर्नाटक	0.00	0.00	200.00
13	केरल	0.00	0.00	300.00
14	लद्दाख	0.00	0.00	99.00
15	मध्य प्रदेश	0.00	143.08	600.00
16	महाराष्ट्र	0.00	0.00	250.00
17	मणिपुर	0.00	0.00	140.00
18	मिजोरम	53.75	550.00	723.14
19	नागालैंड	205.000	400.00	600.00
20	ओडिशा	313.15	600.00	600.00
21	राजस्थान	0.00	0.00	0.00
22	सिक्किम	0.00	0.00	200.00
23	तमिलनाडु	0.00	25.00	300.00

24	तेलंगाना	0.00	0.00	1300.00
25	त्रिपुरा	0.00	25.00	300.00
26	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	0.00
27	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.00
28	मेघालय	0.00	0.00	100.00
29	उत्तराखंड	0.00	948.01	793.86
	कुल	**1240.26**	**4353.17**	**9000.00**

*अनंतिम

पिछले तीन वर्षों के दौरान ईएमआरएस के तहत जारी की गई निधियों का विवरण

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25***
1	आंध्र प्रदेश	12,600.57	10,795.05	20,252.60
2	अरुणाचल प्रदेश)पूर्वोत्तर(	1,010.87	693.91	1,998.01
3	असम)पूर्वोत्तर(	1,433.65	2,732.67	10,638.59
4	बिहार	0	8.95	34.12
5	छत्तीसगढ़	19,435.93	15,888.89	75,241.68
6	दादरा और नगर हवेली	568.22	163.45	173.77
7	गुजरात	10,088.95	15,667.55	23,739.43
8	हिमाचल प्रदेश	483.18	829.76	1,353.01
9	जम्मू और कश्मीर	1,200.00	891.4	373.56
10	झारखंड	23,562.27	23,915.13	63,365.39
11	कर्नाटक	1,768.84	2,677.67	5,996.19
12	केरल	1,515.66	249	1,030.37
13	लद्दाख	450	800	17.41
14	मध्य प्रदेश	31,817.79	13,157.19	24,589.25
15	महाराष्ट्र	12,919.16	8,525.91	26,849.30
16	मणिपुर)पूर्वोत्तर(	2,369.98	3,044.92	2,325.91
17	मेघालय)पूर्वोत्तर(	800	21,014.66	31,442.72
18	मिजोरम)पूर्वोत्तर(	2,094.54	1,242.52	14,313.18
19	नागालैंड)पूर्वोत्तर(	557.71	18,377.12	698.27
20	ओडिशा	28,164.31	48,934.80	60,184.05
21	राजस्थान	19,463.30	13,687.79	8,532.54
22	सिक्किम)पूर्वोत्तर(	1,047.35	1,118.83	845.00

23	तमिलनाडु	1,098.78	1,099.80	1,738.95
24	तेलंगाना	12,794.53	14,276.17	13,492.34
25	त्रिपुरा)पूर्वोत्तर(	6,435.19	6,670.35	9,946.98
26	उत्तर प्रदेश	596.23	624.14	949.43
27	उत्तराखंड	474.95	1,537.53	3,475.04
28	पश्चिम बंगाल	2,303.67	1,869.70	1,789.50
	कुल	**1,97,055.63**	**2,30,494.86**	**4,05,386.59**

*अनंतिम

कार्यात्मक ईएमआरएस और नामांकन की वर्ष-वार सूचीः

		2020-21		2021-22		2022-23		2023-24		2024-25	
क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कार्यात्मक ईएमआरएस**	**नामांकन**	**कार्यात्मक ईएमआरएस**	**नामांकन**	**कार्यात्मक ईएमआरएस**	**नामांकन**	**कार्यात्मक ईएमआरएस**	**नामांकन**	**कार्यात्मक ईएमआरएस**	**नामांकन**
1	आंध्र प्रदेश	19	4609	28	5795	28	7087	28	8810	28	9891
2	अरुणाचल प्रदेश	2	100	2	220	3	290	5	451	5	734
3	असम	1	480	1	480	1	0	1	0	1	एनआर
4	बिहार	0	0	0	0	0	0	0	0	2	एनआर
5	छत्तीसगढ़	71	11519	71	15581	73	19123	74	21943	75	24767
6	दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव	1	120	1	179	1	238	1	300	1	346
7	गुजरात	34	10974	35	10973	34	10985	34	11066	38	11525
8	हिमाचल प्रदेश	4	422	4	552	6	673.	4	794	4	902
9	जम्मू और कश्मीर	0	0	0	0	4	294	6	577	6	900

10	झारखंड	7	3084	7	3051	7	3201	7	3202	51	3257
11	कर्नाटक	12	3638	12	4027	12	4185	12	4236	12	4523
12	केरल	2	520	2	560	4	697	4	862	4	969
13	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	मध्य प्रदेश	63	20657	63	23393	63	24281	63	23084	63	25056
15	महाराष्ट्र	25	6272	31	7062	37	8048	37	9010	37	10092
16	मणिपुर	3	1439	3	1431	3	1440	3	1435	3	1440
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	मिजोरम	6	856	6	1061	6	1250	6	1197	11	1892
19	नागालैंड	3	640	3	671	3	681	3	712	3	744
20	ओडिशा	27	6711	27	7317	32	8495	32	9625	47	11530
21	राजस्थान	21	5938	30	7224	30	8222	30	8375	30	9603
22	सिक्किम	4	987	4	1008	4	1131	4	1254	4	1248
23	तमिलनाडु	8	2506	8	2867	8	2488	8	2226	8	2490
24	तेलंगाना	23	5815	23	6795	23	7113	23	8194	23	9282
25	त्रिपुरा	5	1824	5	1899	6	1984	6	1994	6	2094
26	उत्तर प्रदेश	2	495	2	480	2	617	2	652	3	890
27	उत्तराखंड	3	514	3	765	4	752	4	963	4	1105
28	पश्चिम बंगाल	7	400	7	2072	7	0	7	2879	8	3056
	कुल योग	**353**	**90520**	**378**	**105463**	**401**	**113275**	**404**	**123841**	**477**	138336

वित्तीय वर्ष 2021-22 से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक पीएम जेवीएम वीडीवीके और पीएम जनमन वीडीवीके उपाय के तहत राज्य-वार और वर्ष-वार प्रगति

<u>पीएम जेवीएम वीडीवीके:</u>

क्र. सं.	वर्ष	2021-2022			2022-2023			2023-2024			2024-2025			2025-26			कुल		
	राज्य	संस्वीकृत वीडीवीके की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	संस्वीकृत वीडीवीके की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	संस्वीकृत वीडीवीके की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	संस्वीकृत वीडीवीके की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	संस्वीकृत वीडीवीके की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)	संस्वीकृत वीडीवीके की संख्या	संस्वीकृत राशि (लाख रुपये में)	जारी की गई राशि (लाख रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	152	2280	1140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152	2280	1140
2	अरुणाचल प्रदेश	85	1275	637	0	0	0	21	315	157.5	0	0	0	0	0	0	106	1590	794.5
3	असम	174	2610	1305	169	2535	1267.5	0	0	0	0	0	0	24	360	180	367	5505	2752.5
4	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5	दादरा नगर हवेली एवं दमन व दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	84	1174.45	0	0	0	0	0	0	587.225	84	1174.45	587.225
8	हिमाचल प्रदेश	4	55.5	41.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	55.5	41.8
9	जम्मू और कश्मीर	100	1457	1457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	1457	1457
10	झारखंड	0	0	0	107	1605	802.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107	1605	802.5
11	कर्नाटक	101	1515	757.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101	1515	757.5
12	केरल	31	402.25	201.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	402.25	201.125
13	लद्दाख	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14	मध्य प्रदेश	21	315	157.5	19	285	142.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	600	300
15	महाराष्ट्र	0	0	0	0	0	0	1	15	7.5	8	120	47.5	6	90	57.5	15	225	112.5
16	मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	91.65	45.825	7	91.65	45.825
17	मेघालय	0	0	0	0	0	0	130	1950	975	0	0	0	0	0	0	130	1950	975
18	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	100	1500	750	0	0	862.5	27	405	202.5	127	1905	1815
19	नागालैंड	0	0	0	10	150	75	68	1020	510	63	943.5	390	0	0	1521.75	141	2113.5	2496.75
20	ओडिशा	14	210	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	210	105
21	राजस्थान	290	4303.4	2151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	377.95	188.975	316	4681.35	2339.975
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	1	15	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	7.5
24	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	25	339.05	169.52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	339.05	169.52

26	उत्तर प्रदेश	13	195	97.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	195	97.5
27	उत्तराखंड	1	15	7.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	15	7.5
28	पश्चिम बंगाल	22	329.35	329.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	73.1		27	402.45	329.35
	कुल	**1009**	**14977.5**	**8394.775**	**330**	**4914.05**	**2457.02**	**404**	**5974.45**	**2400**	**71**	**1063.5**	**1300**	**95**	**1397.7**	**2783.775**	**1909**	**28327.2**	**17335.57**

<u>पीएम जनमन वन धन केंद्र:</u>

राशि (लाख रुपये में)

#		**वित्तीय वर्ष 2023-24**			**वित्तीय वर्ष 2024-25**			**वित्तीय वर्ष 2025-26**			**कुल**		
क्र.सं.	**राज्य**	**संस्वीकृत निधियां**	**जारी की गई निधियां**	**संस्वीकृत वीडीवीके**	**संस्वीकृत निधियां**	**जारी की गई निधियां**	**संस्वीकृत वीडीवीके**	**संस्वीकृत निधियां**	**जारी की गई निधियां**	**संस्वीकृत वीडीवीके**	**संस्वीकृत निधियां**	**जारी की गई निधियां**	**संस्वीकृत वीडीवीके**
1	अंडमान और निकोबार	2.8	1.4	1	0	0	0	0	1.4	0	2.8	2.8	1
2	आंध्र प्रदेश	307.55	153.825	73	0	0	0	0	0	0	307.55	153.825	73
3	छत्तीसगढ़	119.75	59.875	16	0	0	0	0	0	0	119.75	59.875	16
4	गुजरात	52.5	26.25	21	0	0	0	0	0	0	52.5	26.25	21
5	झारखंड	143.8	72	35	0	0	0	0	0	0	143.8	72	35
6	कर्नाटक	89.2	29.2	32	2.6	0	1	0	16.7	0	91.8	45.9	33

7	केरल	21.65	10.825	5	5.2	0	2	0	2.6	0	26.85	13.425	7
8	मध्य प्रदेश	254.5	73.825	83	0	0	0	0	53.45	0	254.5	127.275	83
9	मणिपुर	0	0	0	30	15	2	0	15	0	30	30	2
10	महाराष्ट्र	181.2	90.635	40	0	0	0	0	0	0	181.2	90.635	40
11	ओडिशा	178.4	88.91	43	0	0	0	84.55	42.27	23	262.95	131.18	66
12	राजस्थान	432.95	215.475	50	9.15	0	1	0	4.57	0	442.1	220.045	51
13	तमिलनाडु	120.15	60.075	37	0	0	0	0	0	0	120.15	60.075	37
14	तेलंगाना	73.05	36.525	25	0	0	0	0	0	0	73.05	36.525	25
15	त्रिपुरा	127.5	57.35	30	0	0	0	0	5.35	0	127.5	62.7	30
16	उत्तर प्रदेश	15.95	7.97	5	0	0	0	0	0	0	15.95	7.97	5
17	उत्तराखंड	15.7	7.85	5	16	0	4	0	8	0	31.7	15.85	9
18	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	0	0	13.9	6.95	5	13.9	6.95	5
#	**कुल योग**	**2136.65**	**989.39**	**501**	**62.95**	**15**	**10**	**98.45**	**156.29**	**28**	**2298.05**	**1160.68**	**539**

****